भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: Public Notice

Reference No.: 351 (1)/IRDAI/HLT/SHP/2019-20 **Date:** 27/11/2019

Suggestions for a name to the "Standard Individual Health Product"

सार्वजनिक सूचना
Public Notice

संदर्भ सं:351 (1)/आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचपी/2019-20 दिनांक:27-11-2019

Ref. No:351 (1)/IRDAI/HLT/SHP/2019-20 Date:27-11-2019

``स्टैण्डर्ड इंडिविज्युअल हेल्थ प्रॉडक्ट~~ को एक नाम के लिए सुझाव
Suggestions for a name to the "Standard Individual Health Product"

भारतीय स्वास्थ्य बीमा बाज़ार में अनेक स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा उत्पाद हैं। प्रत्येक उत्पाद की अपनी-अपनी लाभप्रद विशेषताएँ और तदनुरूप नियम व शर्तें हैं। जन सामान्य को ऐसी उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा पालिसी, जो उन्हें अस्पताल में भरती होने से संबंधित मूलभूत कवरेज उपलब्ध कराती है, के चयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आईआरडीएआई, सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को एक अधिदेश का प्रस्ताव करता है कि वे व्यक्तिगत और साथ ही साथ परिवार प्लोटर आधार पर रु. 1,00,000 से 5,00,000 की बीमाकृत राशि की सीमा में एक मानक क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करें। एकमात्र अन्तर विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रीमियम दरें होंगी। अधिक विवरण के लिए 19 फरवरी, 2019 को प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रकाशित `मानक स्वास्थ्य उत्पाद संबंधी प्रारूप दिशा-निर्देश~ देखे जा सकते हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्रस्तावित मानक स्वास्थ्य उत्पाद के लिए ऐसा सरल और आकर्षक नाम तय किया जाय जो देशभर में जन सामान्य को अपील करे। प्रस्तावित मानक स्वास्थ्य उत्पाद के लिए जन सामान्य से उपयुक्त नाम के सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। मानक उत्पाद के लिए चयनित नाम का प्रस्ताव करने वाले के लिए आईआरडीएआई के अध्यक्ष द्वारा सराहना प्रमाण-पत्र के साथ-साथ 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार निर्धारित किया गया है। अनुरोध है कि, सुझाव 10 दिसंबर, 2019 तक ई-मेल आईडी : health@irdai.gov.in को अग्रेषित किये जाएँ।

The Indian health insurance market is having a number of individual health insurance products. Each product has its own benefit feature and corresponding terms and conditions. With the objective to facilitate the public to choose a suitable health insurance policy which provides coverage to basic hospitalization related expenses, IRDAI proposes to mandate all general and health insurers to offer a standard indemnity based health insurance product with a sum insured ranging from Rs 1,00,000 to Rs 5,00,000 on individual as well as family floater basis. The only differential would be the premium rates that are charged by various insurers. For further details, draft Guidelines on Standard Health Product which published on website of the Authority on 19th Feb, 2019 may be referred to.

In the above background, it is considered important to have a simple and catchy name to the proposed standard health product which would appeal through-out the country. Suggestions are invited from the public for a suitable name to the proposed standard health product. A cash prize of Rs 10,000 has been earmarked for the proposer of the selected name of the standard product along with a certificate of appreciation by Chairman, IRDAI. Suggestions may please be forwarded to the email id: health@irdai.gov.in by 10th December, 2019.

सुरेश माथुर Suresh Mathur
कार्यकारी निदेशक Executive Director